

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ****दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4090/2026**

सुमन उर्फ संध्या

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- आलोक कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदिका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 458/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 80(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना खमरिया, जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत, आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदिका निर्दोष है तथा वह दिनांक 6.2.2026 से कारागार में निरुद्ध है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका के पुत्र का विवाह सूचनाकर्ता की पुत्री के साथ हुआ था, किन्तु उनके मध्य उत्पन्न कुछ तुच्छ विवादों के कारण सूचनाकर्ता की पुत्री ने विष का सेवन करके आत्महत्या कर ली। तत्पश्चात् मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा विवेचक द्वारा आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त अंकित उर्फ प्रेमकांत एवं श्रीमती शिवानी को इस न्यायालय द्वारा दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 3598 /2026 एवं 2659 /2026 में क्रमशः पारित आदेश दिनांक 19.05.2026 एवं 15.04.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। (उक्त जमानत आदेश जमानत आवेदन के संलग्नक संख्या 7 के रूप में संलग्न हैं।) इन परिस्थितियों में आवेदिका भी जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदिका को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत किया कि आवेदिका के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं, किन्तु उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि सह-अभियुक्त अंकित उर्फ प्रेमकांत एवं श्रीमती शिवानी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, सह-अभियुक्त अंकित उर्फ प्रेमकांत एवं श्रीमती शिवानी को प्रदान किए गए जमानत आदेशों, समानता के आधार तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं इस मत पर हूँ कि आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. उपरोक्त मुकदमा अपराध में आवेदिका -**सुमन उर्फ संध्या** -को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदिका ऐसा कोई अपराध नहीं करेगी, जो उस अपराध के समान हो, जिसके किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (ii) आवेदिका मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगी, जिससे वह उक्त तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- (iii) आवेदिका इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करेगी कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगी। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
- (iv) आवेदिका प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- (v) यदि विचारण के दौरान आवेदिका जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि को आवेदिका न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तो विचारण न्यायालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके विरुद्ध धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदिका विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामला प्रारंभ किए जाने, (2) आरोप विरचित किए जाने एवं (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदिका की अनुपस्थिति साशय या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 10, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।